संख्या:-14/2025/आई851027/001-469आ0/23-5002-002-07-2023
(कम्प्यूटर सं0-1701347)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-18-00-24 "निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद मथुरा में उच्च स्तरीय सुविधायुक्त एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्किट हाउस के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-18-00-24 "निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद मथुरा में उच्च स्तरीय सुविधायुक्त एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्किट हाउस के निर्माण कार्य हेतु कुल आगणन लागत रू0 6739.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 2358.90 लाख(रू0 तेईस करोड़ अट्ठावन लाख नब्बे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
					(धनराशि रू0 लाख में)
1	686/84(1)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 01.03.2024 एवं 355जी/9(कार्ययोजना)बीपी0-विंग/2024, दिनांक 14.06.2024	मथुरा	मथुरा में उच्च स्तरीय सुविधायुक्त एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप सर्किट हाउस का निर्माण कार्य।	6739.69	2358.90
	योग :-			6739.69	2358.90

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) ई0पी0सी0 मोड पर प्रश्नगत कार्य खुली निविदा आमंत्रित की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की निर्माण एजेन्सियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की तकनीकी रूप से अर्ह(eligible) निर्माण एजेन्सियाँ प्रतिभाग कर सकेंगी।

(2) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-29/2023/बी-2-673/दस-2023, दि0 19.10.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

(3) ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रश्नगत कार्य ई0पी0सी0 मोड पर निर्माण हेतु स्वीकृत किया जा रहा है जिसे निर्धारित समयावधि(18 माह) में पूर्ण किया जायेगा। परियोजना की लागत का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित समस्त विभागों/प्राधिकरणों से आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय अनापत्तियाँ सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 02.10.2022 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ई0पी0सी0 मोड में शासकीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था में पूर्व की भाँति Fund Flow के लिये मण्डल स्तर पर गठित लोक निर्माण विभाग के भवन प्रखण्ड(Building Division) की DCL प्रणाली का उपयोग किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(13) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 125.96 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अतएव विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(14) प्रायोजना में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। अतएव यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से स्वीकृत करा लिया जायेगा।

(16) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति/सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(19) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं 19.06.2024 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रायोजना के निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति का विवरण सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर (रजिस्ट्रेशन सं0-202400003100602) फोटोग्राफ्स एवं वीडियो सहित अपलोड किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की मानीटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।

(21) ई0पी0सी0 मोड पर कराये जा रहे निर्माण कार्यों में इलेक्ट्रानिक मेजरमेंट बुक(eMB) की व्यवस्था लागू की जायेगी।

(22) प्रायोजना में कार्यदायी संस्था को सेन्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं होगा। व्यय वित्त समिति की संस्तुति के अनुसार सुपरवीजन चार्ज एवं कन्टीजेंसी चार्ज नियमानुसार देय होगा।

(23) स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 23,58,90,000(रूपये तेईस करोड़ अट्ठावन लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800511800 निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-312-X-2024-25, दिनांक 24.10.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-14/2025/आई851027/001-469आ0(1)/23-5-2024-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी मथुरा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- कुल सचिव, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

..../04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
10- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
11- महाप्रबन्धक, आगरा अंचल, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, आगरा।
12- मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
13- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
14- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, मेरठ।
15- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, आगरा।
17- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।